

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

15/1044

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 07.03.25

अप्रार्थीगण

शांति देवी पत्नि
गोमाराम 2 गोमाराम
पुत्र द्वारकाराम जाति
कुमावत निवासी
भानाणियों की ढाणी,
बोधिया जागीर
तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 प्रेमगिरी चेला किशनगिरी
वगैराह निवासी विशाला आगोर
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-302/2024

दिनांक- 03/03/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जेसला धोरा पटवार क्षेत्र विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 275/204 रकबा 8.0937 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई
करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा
किया जावेगा।

(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/1048-48

दिनांक- 07.03.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी विशाला आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण शांति देवी पत्नि गोमाराम वगैराह जाति कुमावत निवासी भानाणियों की ढाणी, बोधिया जागीर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण प्रेमगिरी चेला किशनगिरी वगैराह निवासी विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर